न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.औ.) गुलाबपुरा

बईजलास श्री नन्दकिशोर राजोरा (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं.– 28/2018

उनवान

1 पूरणमल पिता छीतर रेगर, निवासी आगुँचा, तहसील हुरडा।

–वादी

बनाम

1 श्रीमति धापू पत्नि सांवता चमार, नि. परसरामपुरा, आगुँचा ,तह. हुरडा।
2 रामधन पिता सांवता चमार, नि.परसरामपुरा, आगुँचा तहसील हुरडा ।
3 दयाराम पिता बालु चमार, नि. परसरामपुरा, आगुँचा, तहसील हुरडा।
4 पन्नालाल पिता बालु चमार, नि. परसरामपुरा, आगुँचा, तहसील हुरडा।
5 तहसीलदार हुरडा, जिला भीलवाडा ।

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– धमेन्द्र आमेटा वकील वादी ।

वादपत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट

–:निर्णय:–

दिनांक– 11.06.2018

1– वादी के द्वारा यह वाद पत्र प्रस्तुत कर अंकित किया कि वादी की मिलकियत कब्जेयाबी खरीदशुदा सरद भैरुखेडा राजस्व ग्राम आगुँचा पटवार हल्का आगुँचा, तहसील हुरडा खाता संख्या– 274 की आराजी नम्बर– 1501 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा एवं आराजी नम्बर– 1502 रकबा 02 बीघा 17 बिस्वा स्थित होकर हाल राजस्व रेकार्ड में सांवता पिता बीरम एवं दयाराम पन्ना पिता बालु के नाम स्थित है ।

2 वादी ने उक्त आराजीयात प्रतिवादीगण नम्बर– 01 एवं 02 के पिता / पति से दिनांक 15.09.1976 में उक्त आराजीयात को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया तभी से वादी उक्त आराजीयात पर बतौर मालिक काबिज होकर उपयोग–उपभोग करता चला आ रहा है ।

3 वादी उक्त आराजीयात को खरीद की गयी विक्रयपत्र को पटवार हल्का आगुँचा को उक्त आराजीयात का नामान्तकरण करने बाबत 1976 में ही अपने नाम उक्त आराजीयात का नामान्तकरण खोलने बाबत पेश कर दिया तब पटवारी हल्का आगुँचा द्वारा वादी को आवश्वासन दिया कि तुम्हारें नाम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र है । इसलिये नामान्तकरण खोल देंगे तथा तुम्हारे आने की आवश्यकता नही है वादी पटवारी हल्का आगुँचा के द्वारा आश्वासन देने पर उनके पास नही गया व पटवारी हल्का के आवश्वासन पर रह गया तथा काफी लगात

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

लगाकर उक्त आराजीयात उपजाउ बनाई एवं उसकी सुरक्षा हेतु चारों और डोल लगाया ।

4 हाल ही दिनांक 20.11.2011 को प्रतिवादीगण 01 से लगायत 04 उक्त आराजीयत पर आये एवं प्रतिवादी नम्बर– 01 व 02 ने कहा कि यह आराजी हमारे पिता / पति सांवता के नाम है । एवं प्रतिवादी नम्बर– 03 एवं 04 ने कहा कि उक्त आराजीयात 1/2 हिस्सा हमारे नाम राजस्व रेकार्ड में अंकित है तथा वादी ने कहा कि मेने तो उक्त आराजीयात सांवता जो प्रतिवादी नम्बर– 01 व 02 पिता/ पति से खरीद की तभी से में इस आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग–उपभोग कर रहा हुँ, तो प्रतिवादी नम्बर– 01 व 02 ने कहा कि हमारे पिता/पति का स्वर्गवास हो गया है उक्त आराजीयात हमारे नाम 1/2 हिस्सा विरासत के आधार पर करायेगें एवं तुम्हें उक्त आराजीयात से जबरन बलपूर्वक बेदखल कर कब्जा करेगें व अन्य को विक्रय करेगें । जिस पर वादी ने राजस्व कर्मचारी पटवार हल्का से जानकारी करने पर पनता चला कि उक्त आराजीयात इन्तकाल पटवार हल्का से खारिज हो चूका है। तब प्रार्थी द्वारा दस्तावेजात प्राप्त कर, श्रीमान् के समक्ष एक वादपत्र उक्त आराजीयात को अपने नाम कराने हेतु वाद पत्र संख्या– 26/2012 पूरणमल बनाम श्रीमति धापू पेंश किया ।

5 उक्त वादपत्र में कानून त्रूटी रह जाने से वादी ने उक्त वादपत्र को दिनांक 05.06.2017 को विड्रो किया गया एवं पुनः नया वाद पत्र पेश करने की अनुमति श्रीमान् से चाही गयी ।

6 वादी द्वारा सम्पूर्ण जानकारी प्रापत करने पर यह ज्ञात हुआ कि जब वादी ने प्रतिवादी नम्बर– 01 व 02 के पिता / पति से खरीद की तब सांवता को उक्त सम्पूर्ण आराजीयात को विक्रय करने का कोई विधिक अधिकार नही था एवं उक्त आराजीयात में सांवता का 1/2 हक हिस्सा ही निहित था तथा वादी उक्त आराजीयात में निहित हिस्सा सांवता ने 1/2 को अपने नाम दर्ज कराने का अधिकारी है।

7 प्रतिवादी नम्बर– 01 व 02 का राजस्व रेकार्ड में अपने नाम दर्ज कराने पर प्रतिवादी नम्बर– 01 व 02 उक्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्से को रहन बक्षिश विक्रय करने व वादी को जबरन बेदखल करने पर आमादा है तथा आये दिन वादी को बेदखल करने व अन्य को विक्रय करने की धमकी देते है । इस हेतु हाल ही दिनांक 10.07.2017 को स्थायी निषेधाज्ञा से पावन्द नही किया गया तो वादी अपने हक हिस्से से महरुम हो जावेगा एवं असहनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति कदापि सम्भव नही होगी एवं अनावश्यक मुकदमें बाजी बढेगी ।

8 वादी 1/2 हक हिस्सा सांवता से खरीद किया जिससे वादी का उक्त आराजीयात में 1/2 हक हिस्सा निहित उक्त विक्रय पत्र के आधार से है जिस हेतु उक्त निहित हिस्से अनुसार विभाजन कराने का अधिकारी है।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

9 अन्त में अंकित किया गया कि वहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावें कि वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में वादी का निहित हिस्सा 1/2 के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नही करें करावें व जबरन बलपूर्वक वादी को बेदखल करे व प्रतिवादी संख्या– 01 व 02 के हाल राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित हो जावे तो अन्य को रहन, बक्षिश , विक्रय, खुर्द बुर्द नही करें करावें, की डिक्री सादिर फरमावें।

10 बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण 01 व 02 के विरुद्ध घोषणात्मक डिक्री इस आशय की पारित फरमायी जावें कि वादपत्र की कलम नम्बर– 01 में वर्णित आराजीयात में सांवता का हिस्सा जो वादी द्वारा खरीद किया उसको वादी के नाम दर्ज करने की डिक्री सादिर फरमायी जावें। यदि दौराने वाद अगर प्रतिवादीगण अपने नाजायज कृत्य से सफल हो जावें तो पुनः प्रतिवादीगण के खर्चे से आज की स्थिति में रेस्टोर फरमायी जावें । विरासत से सांवता के बजाय प्रतिवादी नम्बर– 01 व 02 अपने नाम राजस्व रेकार्ड में अंकन करा देवे तो पुनः प्रतिवादीगण 01 व 02 का नाम हटाया जाकर पुनः वादी के नाम करायी जावें ।

11 प्रस्तुत वाद पत्र बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाने पर प्रतिवादी संख्या 01 से 04 बावजूद सूचना के गैरहाजिर रहने से उनके विरुद्ध दिनांक 27.02.2018 को एकतरफा कार्यवाही किये जाने के आदेश प्रसारित किये गये ।

12 तत्पश्चात पत्रावली आज केम्प कोर्ट आगुॅचा पर पेश हुई । वकील वादी उपस्थित । वकील वादी प्रकरण में अंतिम बहस सूने जाने पर अपनी सहमति व्यक्त करने से वकील वादी की एकतरफा बहस सूनी गई । वक्त बहस वकील वादी का कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात सांवता पिता बीरम व दयाराम, पन्ना पिता बालु के नाम दर्ज है । उक्त आराजीयात प्रतिवादी नम्बर– 02 के पिता सांवता से दिनांक 15.09.1976 को रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीदकर कब्जा प्राप्त किया है । तभी से वह उक्त आराजीयात पर बतौर मालिक कब्जेकाश्त चला आ रहा है। वकील वादी का यह भी कथन था कि वादग्रस्त आराजीयात खरीदने के बाद वादी ने रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तकरण खोलने के लिये पटवारी हल्का को विक्रय पत्र की प्रति प्रस्तुत कर दी गई थी उस वक्त पटवारी ने कहा कि तुम्हारें नाम खाता खोल देंगे , किन्तु पटवारी हल्का के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र. के आधार पर खोता नही खोला । आराजी मृतदाविया विरासत से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज होने से वह उक्त आराजीयात को खुर्द बुर्द करने पर आमादा है जिसे स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें । अन्त में कथन किया कि वादी के द्वारा रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर खरीद की गई भूमि को वादी के नाम हक घोषणा करवाई जावें ।

13 मैंने वकील वादी को सूना । बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात पर अध्ययन किया । विवेचन निम्न प्रकार से रहा है ।

सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner

14 वादी के द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत् 2072–2075 मौजा भैरुखेडा पटवार हल्का आगुॅचा द्वितीय तहसील हुरडा के अनुसार वादग्रस्त आराजी नम्बर– 1501, 1502 किता 2 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि सांवता पिता बीरम 1/2 दयाराम, पन्ना पिता बालु 1/2 चमार साकिन आगुॅचा दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है।

15 यहॉ वादी का कथन है कि वादग्रस्त आराजीयात उसके द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 15.09.1976 को रजिस्टर्ड विकय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया है तभी से वो आराजीयात पर काबिजकाश्त चला आ रहा है । अपने कथनों की पृष्टि में उनके द्वारा रजिस्टर्ड विकय पत्र की फोटो प्रति उपलब्ध कराई । जिसका अवलोकन किया गया । रजिस्टर्ड विकय पत्र के अनुसार सांवता पिता बीरमा चमार साकिन आगुॅचा के द्वारा मौजा आगुॅचा की आराजी नम्बर– 1501 रकबा 03 बीघा 10 बिस्वा आराजी नम्बर– 1502 रकबा 02 बीघा 18 बिस्वा भूमि को 2000 रु. में पूरण मल पिता छीतर रेगर साकिन आगुॅचा को बेचान किया जाना प्रकट आया है ।

16 वादी के द्वारा पत्रावली में वादग्रस्त भूमि के तत्कालीन खातेदारों की कोई जमाबन्दी उपलब्ध नही कराई गई है, किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध नामान्तकरण संख्या– 519 निर्णय दिनांक 14.11.1977 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात सांवता पिता बीरम 1/2, दयाराम, पन्ना पिता बालु 1/2, दर्ज रिकार्ड होना प्रकट आया है । वादी के द्वारा प्रस्तुत विकय पत्र दिनांक 15.09.1976 के अनुसार विकय पत्र मात्र सांवता पिता बीरम चमार निवासी आगुॅचा के द्वारा ही निष्पादित करवाया गया है। ऐसी स्थिति में वादी वादग्रस्त आराजीयात में सांवता पिता बीरमा के 1/2 हक हिस्से तक ही खातेदार हक घोशणा करवाये जाने के अधिकारी पाये जाते है । तद्नुसार दावा वादी स्वीकार किये जाने योग्य है ।

–: निर्णय :–

दावा वादी डिक्री किया जाकर मौजा भैरुखेडा पटवार हल्का आगुॅचा द्वितीय तहसील हुरडा की आराजी नम्बर– 1501, 1502 किता 2 रकबा 06 बीघा 07 बिस्वा भूमि के खातेदार सांवता पिता बीरम के स्थान पर वादी को खातेदार घोषित किया जाता है । तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी के हक हिस्से की आराजीयात में किसी प्रकार की दखन्दाजी करने , कराने से रुके रहें । तद्नुसार डिक्री पर्चा मुर्तिब हो पत्रावली शूमार फैसल होकर दाखिल दफतर करें । निर्णय आज दिनांक 11.06.2018 को खुली लोक अदालत केम्प कोर्ट आगुॅचा पर सूनाया गया ।

(नन्दकिशोर राजोरा)
सहायक कलेक्टर
(S. D. O.) गुलाबपुरा
जिला-भीलवाड़ा

Scanned by CamScanner